

S.N.312
1/02



प्रलय 26
(नियम 4क देखिए)

35 हरिद्वार उत्तराखण्ड (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अ के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, रणबीर सिंह राणा पुत्र/पुत्री/पत्नी का नाम
मृल राणा आयु 63 वर्ष, जो 19/II/I वर्षीय रूपमें दरिद्र
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं *लाभूष्णी* X लाभूष्णी नहीं
(ii) पुलिस थाना (थाने) *Qar* जिला (जिले) *लाभूष्णी* राज्य *लाभूष्णी* नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... X *Qar* लाभूष्णी

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... X *Qar* लाभूष्णी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे..... X *Qar* लाभूष्णी

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... X *Qar* लाभूष्णी

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष छहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

Ram

लालूनदी

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

Ram

लालूनदी

(iii) पुलिस थाना (थाने).....

Ram

लालूनदी

जिला (जिले)

Ram

लालूनदी

(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

Ram

लालूनदी

★ NISHA SHARMA (तारीख) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

Ram

लालूनदी

NOTARY



Nisha Sharma

ADVOCATE

Dist. Court, Haridwar (Uttarakhand)

No. 09(08) 2011

स्थान

तारीख

हरिद्वार

12-1-12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपायी नहीं गयी है।

हरिद्वार

स्थान पर आज तारीख 12-1-12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Nisha Sharma


NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR

टिप्पणी :— इस प्रस्तुति के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लालूनदी है, कोट नियम वाले



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

9 JAN 2012
12AA 905655



Nisha Sharma
NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR

Rana

Rana